(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

दावा संख्या – 37/2004

निर्णय दिनांक– 05.12.2018

उनवान

गेन्दया पुत्र भूरा जाति बैरवा निवासी सूथडा तहसील उनियारा जिला टोंक

1/1.रूपनारायण पुत्र गेन्दयां जाति बैरवा निवासी सूथडा तहसील उनियारा जिला टोंक

1/2.हरिनारायण पुत्र गेन्दयां जाति बैरवा निवासी सूथडा तहसील उनियारा जिला टोंक

1/3.गुलाब देवी बेवा गेन्दया जाति बैरवा निवासी सूथडा तहसील उनियारा जिला टोंक

1/4 मिट्ठूलाल पुत्र गेन्दयां

1/5 सुनीता पुत्री गेन्दयां 1/6 तुलसा पुत्री गेन्दया

–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
2. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा,दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थित– 1. श्री बी0यू0 खान वकील वादी

2. पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह है कि वादी की कब्जे काश्त की आराजी साबिक ख0न0 853/1/1 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि ग्राम सूथडा तहसील उनियारा मे स्थित है। उक्त आराजी ख0न0 853/1/1 वादी को दिनांक 20.6.83 को केम्प सूथडा तहसील उनियारा मे मि0न0 306/83 को कीमतन आवंटित हुई थी तथा मौके पर ही पट्टा, सुपुर्दगीनामा प्रदान किया था, तब से वादी का निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। हाल सेटलमेन्ट मे साबिक ख0न0 853 का नया नम्बर 1922 रकबा 0.34 है0 बनाया है जो हाल ट्रेस व साबिक ट्रेस को ओवरलेप करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 853/1/1 का नया नम्बर 1917 रकबा 0.74 है0 व 1918/2 रकबा 0.86 है0 बनता है। जिसे हाल सेटलमेन्ट ने दर्ज न कर गलत नम्बर अंकित कर दिया है, जबकि हाल ख0न0 1922 साबिक ख0न0 881 से बनना पाया जाता है। सेटलमेन्ट को वादी के ख0न0 का गलत मिलान क्षैत्रफल बनाने का कोई वैधानिक अधिकार नही है। उक्त आराजी की कीमत भूमि रसीद न0 90 दिनांक 16.8.86 को पूर्व जमा हो गई है तथा गैर खातेदारी मे आराजी अंकित कर दी गई है। वादी ने तहसीलदार उनियारा को कई बार गैर खातेदारी से खातेदारी में अंकित करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये और समस्या समाधान शिविर मे भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये परन्तु वादी किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नही कर सका। प्रतिवादी न0 2 के कार्यालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी हल्का ली गई और रिपोर्ट से भी मिलान क्षैत्रफल गलत बनना पाया गया और वादी को पत्र क्रमांक 5601 दिनांक 7.11.02 को सूचित किया गया कि मिलान क्षैत्रफल से भूमि का मिलान नही हो रहा है, जिसका क्षैत्रफल मे दुरूस्ती हेतु सक्षम न्यायालय मे वाद दायर किया जावे। उक्त आराजी हाल

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

ख0न0 1917 रकबा 0.74 व ख0न0 1918/2 रकबा 0.86 है0 है जो वादी ने गैर खातेदारी मे अंकित है, परन्तु वादी के खातेदारी मे अंकित नही की गई और कहा कि मिलान क्षैत्रफल दुरूस्त होने पर ही तुम्हे खातेदारी मिलेगी, जबकि उक्त आराजी से किसी भी अन्य का कोई लेना देना नही है। उक्त आराजी की वादी द्वारा सम्पूर्ण कीमत भूमि जमा करवा दी है और किसी प्रकार का कोई वादी पर राजस्व बकाया नही है और वादी ही एक मात्र काबिज कृषक चला आ रहा है। साबिक शीट व हाल शीट को ओवर लेप करने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि साबिक ख0न0 853/1/1 का हाल ख0न0 1922 नही बनता है बल्कि हाल ख0न0 1917 रकबा 0.74 है0 व ख0न0 1918/2 रकबा 0.86 है0 बनता है। जिसे मिलान क्षैत्रफल दुरूस्त करना न्यायहित मे उचित एवं आवश्यक है।

यह है कि वादी की अधियाचना है कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री सादिर फरमाया जावे। वादी की आराजी ख0न0 853/1/1 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा का हाल ख0न0 1917 रकबा 0.74 है0, 1918/2 रकबा 0.86 है0 बनाया जाकर वादी को आराजी ख0न0 1917 व 1918/2 ग्राम सूथडा तहसील उनियारा का खातेदार काश्तकार घोषित घोषित किया जावे। आराजी ख0न0 853/1/1 का मिलान क्षैत्रफल दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलब किया गया ।

प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 15.2.2006 को जवाब दावा पेश किया गया कि चरण संख्या 1 मुताबिक राजस्व रेकार्ड स्वीकार है। चरण संख्या 2 आवंटन आदेश के अनुसार स्वीकार है। कब्जा वादी स्वयं सिद्व करे। चरण संख्या 3 साबिक व हाल शीट के मिलान के अनुसार स्वीकार है। चरण संख्या 4 वादी स्वयं सिद्व करे। चरण संख्या 5 मे भू प्रबन्ध द्वारा बनाया गया मिलान क्षैत्रफल मे आवंटित भूमि का मिलान नही होता है। चरण संख्या 6 रिकार्ड के अनुसार स्वीकार है। चरण संख्या 7 वादी स्वयं सिद्व करे। चरण संख्या 8 वादी स्वयं सिद्व करे। साबिक एवं हाल शीट का मिलान करके मिलान क्षैत्रफल दुरूस्ती करने मे कोई आपत्ति नही है।

जवाब पेश होने के बाद वादपत्र मे निम्न तनकियात कायम कर विवेचित की गईः–

1– आया वादी साबिक आराजी ख0न0 853/1/1 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा हाल ख0न0 1917 रकबा 0.74 है0, 1918/2 रकबा 0.86 है0 वाके ग्राम सूथडा तहसील उनियारा की खातेदारी प्राप्त करने तथा मिलान क्षैत्रफल को दुरूस्त करवाकर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करवाने का अधिकारी है?

–वादी

2–आया साबिक व हाल शीट के मिलान के बाद मिलान क्षैत्रफल मे दुरूस्ती मे कोई आपत्ति नही हैं ?

–प्रतिवादीगण

3–दादरसी?

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे निम्न दस्तावेजात नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 1 व 2, सूचना नोटिस तहसीलदार प्रदर्श 3, सूचना नोटिस तहसीलदार प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी सम्वत 2058 से 2061 प्रदर्श 5, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 6, नकल अलाटमेन्ट आदेश दि0 20.6.83 प्रदर्श 7, नकल मिलान क्षेफल प्रदर्श 8, नकल नामान्तरकरण संख्या 17 ग्राम सूथडा प्रदर्श 9, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2039 से 2042 प्रदर्श 10, पेश किये है।

वादी ने अपने वाद के समर्थन मे गवाहान पी.डब्लू. 1 हरिनारायण, पी.डब्लू. 2 जगदीश ,पी0डब्लू0 3 रूपनारायण व पी.डब्लू. 4 अर्जुन के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । प्रदर्श 7 नकल आवंटन आदेश दिनांक 30.6.83 के अनुसार गेन्दया पुत्र भूरा जाति बैरवा निवासी सूथडा को साबिक आराजी ख0न0 853/1/1 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि कमाण्ड क्षैत्र मे आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित की गई है। प्रदर्श 7 मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक आराजी ख0न0 707 मि0 से हाल ख0न0 1917 रकबा 0.74 व साबिक ख0न0 703 मि0 से हाल ख0न0 1918 रकबा 1.61 है0 कायम हुये है। नकल नामान्तरकरण संख्या 17 ग्राम सूथडा के अनुसार आराजी ख0न0 1917 रकबा 0.74 व ख0न0 1918/2 रकबा 0.86 सिवायचक का नामान्तरकरण गेन्दा पुत्र भूरा बैरवा सा0 देह गैर खातेदार पटवारी सूथडा द्वारा आईएलआर पलाई की रिपोर्ट के आधार पर मौका अनुसार तहसीलदार उनियारा द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी वर्तमान मे वादी के नाम गेर खातेदारी मे दर्ज है साक्ष्य वादीगण से भी यह साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी ख0न0 1917 रकबा 0.74 ख0न0 1918/2 रकबा 0.86 है0 पर वादी का ही कब्जा काश्त है। इस तथ्य की पुष्टि नामान्तरकरण संख्या 17 प्रदर्श 9 से होती है। नामान्तरकरण संख्या 17 प्रदर्श 9 मे यह भी अंकित है कि कीमत भूमि राशि जमा खजाना हो चुके है। इस प्रकार वादी हाल आराजी ख0न0 1917 रकबा 0.74 व ख0न0 1918/2 रकबा 0.86 है0 वाके ग्राम सूथडा की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी हो चुका है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय वादी के वाद को डिक्री किया जाना उचित समझता है अतः वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। आराजी ख0न0 1917 रकबा 0.74 व ख0न0 1918/2 रकबा 0.86 है0 वाके ग्राम सूथडा तहसील उनियारा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करे । पर्चा डिक्री जारी हो । फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 05.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुना गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
जिला टोंक (राज0)
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

गेन्दया पुत्र भूरा जाति बैरवा निवासी सूथडा तहसील उनियारा जिला टोंक
1/1.रूपनारायण पुत्र गेन्दयां जाति बैरवा निवासी सूथडा तहसील उनियारा जिला टोंक
1/2.हरिनारायण पुत्र गेन्दयां जाति बैरवा निवासी सूथडा तहसील उनियारा जिला टोंक
1/3.गुलाब देवी बेवा गेन्दया जाति बैरवा निवासी सूथडा तहसील उनियारा जिला टोंक
Y4 मिठ्ठू लाल पुत्र गेन्दया
Y5 सुनीता पुत्री गेन्दया Y6 तुलसा पुत्री गेन्दया —वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
2. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राज0

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा,दुरूस्ती इन्द्राजात

मुकदमा नम्बर :— 37 वर्ष 2004

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री बी0यू0 खान वकील वादी मिनजानिब मुददइ व तहसीलदार उनियारा मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि आराजी ख0न0 1917 रकबा 0.74 व ख0न0 1918/2 रकबा 0.86 है0 वाके ग्राम सूथडा तहसील उनियारा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करे । फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05 माह 12 सन् 2018 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner